R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

खण्ड XII ◆ अंक 6
दिसबंर 2015

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग विनियमन

अग्रिमों पर ब्याज दर के लिए नई पद्धति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे सीमांत निधि लागत पर आधारित अग्रिमों पर ब्याज दरों के परिकलन पर 17 दिसंबर 2015 को जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन 01 अप्रैल 2016 से करें। बैंकों के उधार दरों में नीति दरों के संचारण को बेहतर बनाने में मदद करने के अलावा, यह अपेक्षा है कि ये उपाय अग्रिमों पर ब्याज दरों के निर्धारण के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जा रही पद्धति में पारदर्शिता में सुधार करने में मददगार होंगे। यह भी अपेक्षा है कि इन दिशानिर्देशों से ऐसी ब्याज दरों पर बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित होगी जो उधारकर्ताओं के साथ-साथ बैंकों के लिए उचित हो। साथ ही, ऋणों की सीमांत लागत के कीमत-निर्धारण से बैंकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनने और दीर्घावधिक मूल्य को बढ़ाने में मदद मिलेगी तथा आर्थिक वृद्धि में योगदान मिलेगा।

दिशानिर्देशों के प्रमुख अंश:

i. 01 अप्रैल 2016 से मंजूर किए गए सभी रुपया ऋणों और नवीकृत क्रेडिट सीमाओं का कीमत-निर्धारण सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर (एमसीएलआर) के संदर्भ में किया जाएगा, जो कि ऐसे प्रयोजनों के लिए आंतरिक बेंचमार्क होगी।

ii. एमसीएलआर समयावधि से जुड़ी हुई आंतरिक बेंचमार्क होगी।

iii. वास्तविक उधार दरों का निर्धारण एमसीएलआर के साथ स्प्रेड के घटकों को जोड़कर किया जाएगा।

iv. बैंक प्रत्येक माह पूर्व-घोषित तारीख को विभिन्न परिपक्वता अवधि वाली अपनी एमसीएलआर की समीक्षा करेंगे और उन्हें जारी करेंगे।

v. बैंक अस्थिर दर के ऋणों पर ब्याज की पुनर्निर्धारण तारीखें घोषित करें। उन्हें पुनर्निर्धारण तारीखों से युक्त ऋणों की पेशकश या तो ऋण/क्रेडिट सीमाओं की मंजूरी तारीख से संबद्ध करके करनी होगी या एमसीएलआर की समीक्षा के साथ।

vi. पुनर्निर्धारण की अवधि एकवर्ष या उससे कम अवधि की होगी।

vii. ऋण की मंजूरी की तारीख को विद्यमान एमसीएलआर अगले पुनर्निर्धारण की तारीख तक लागू होगी, भले ही अंतरिम अवधि के दौरान बेंचमार्क में परिवर्तन किया गया हो।

viii. आधार दर से संबद्ध मौजूदा ऋणव क्रेडिट सीमाएं उनकी चुकौती या नवीकरण, जैसा मामला हो, तक बने रहेंगे। मौजूदा उधारकर्ताओं को भी पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर (एमसीएलआर) से संबद्ध ऋण में परिवर्तित करने का विकल्प प्राप्त होगा।

ix. पूर्व की भांति, बैंकों द्वारा आधार दर की समीक्षा और प्रकाशन किया जाना जारी रहेगा।(https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=35749) और (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10179&Mode=0)

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन समिति की रिपोर्ट जारी

रिजर्व बैंक ने 28 दिसंबर 2015 को अपनी वेबसाइट पर वित्तीय समावेशन पर माध्यावधि पथ संबंधी समिति (अध्यक्ष: श्री दीपक मोहंती की रिपोर्ट जारी की। इस पर राय (cgmincfidd@rbi.org.in अथवा cmpfi@rbi.org.in) ईमेल के माध्यम से अथवा डाक द्वारा प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, 10वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को 29 जनवरी 2016 तक भेजी जा सकती हैं।(http://rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=836)

विदेशी मुद्रा प्रबंधन

ईसीबी नीति के लिए संशोधित रूपरेखा की घोषणा

रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार की रूपरेखा 30 नवंबर 2015 को संशोधित की। संशोधित ढांचे के लिए परिचालन के लिए जारी दिशानिर्देश सरकारी राजपत्र में फेमा, 1999 के अंतर्गत निर्धारित संबंधित विनियमन के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हो जाएंगे।(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10153&Mode=0)

कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश

रिजर्व बैंक ने 26 नवंबर 2015 को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को परिपक्वता पर मूलधन अथवा परिशोधक बॉन्ड के मामले में मूल किस्त के पुनर्भुगतान में पूरी तरह या आंशिक रूप से चूक वाले, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) / बॉन्ड प्राप्त करने के लिए अनुमति दी है। इस तरह के एनसीडी/बॉन्ड की संशोधित परिपक्वता अवधि जारीकर्ता भारतीय कंपनी के साथ चर्चा के आधार पर पुनर्गठित और तीन साल या उससे अधिक होनी चाहिए। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10147&Mode=0)

भारत में नए स्थापित उद्यमों के मार्गदर्शन के लिए विदेशी मुद्रा मामलों पर हेल्पलाइन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत मे नए स्थापित उद्यमों (स्टार्ट-अप) के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन (ईमेल आईडी helpstartup@rbi.org.in) बनाई है जिससे कि विनियामकीय ढांचे के दायरे के अंदर सीमापार लेनदेन करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन/सहायता प्रदान की जा सके। (https:// www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=35793)

विषय सूची

पृष्ठ

बैंकिंग विनियमन
- अग्रिमों पर ब्याज दर के लिए नई पद्धति 1

वित्तीय समावेशन
- वित्तीय समावेशन समिति की रिपोर्ट जारी 1

विदेशी मुद्रा प्रबंधन
- ईसीबी नीति के लिए संशोधित रूपरेखा की घोषणा 1
- कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश 1
- भारत में नए स्थापित उद्यमों के मार्गदर्शन के लिए विदेशी मुद्रा मामलों पर हेल्पलाइन

2015 में प्रमुख बैंकिंग और वित्तीय गतिविधियां 2-3
- मौद्रिक नीति ढांचे में परिवर्तन 4

2015 में प्रमुख बैंकिंग और.....

जनवरी 2015

- प्रचार सामग्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और ग्राहकों के साथ एक स्थायी संबंध बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने 2 जनवरी 2015 को देश के भीतर भुगतान प्रणाली परिचालित करनेवाली सभी प्राधिकृत संस्थाओं को सूचित किया कि (i) उत्पाद के संबंध में जनता के लिए विज्ञापनों के रूप में, वेबसाइट, आवेदन पत्र पर, उपलब्ध जानकारी में भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत संस्था/कंपनी का नाम प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए और (ii) प्राधिकृत संस्थाओं / कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों के लिए नियोजित किए गए/किए जाने वाले ब्रांड के नाम की सूचना नियमित रूप से रिजर्व बैंक को दी जानी चाहिए।
- रिज़र्व बैंक ने 7 जनवरी 2015 को जानबूझकर चूक करने वालों पर मास्टर परिपत्र में संशोधन किया है जिससे कि जानबूझकर चूक करने वालों की पहचान करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
- रिज़र्व बैंक ने 15 जनवरी 2015 को बैंकों को अनुमति दी कि वे कुछ शर्तों के अधीन एक सहायक/ संयुक्त उद्यम स्थापित करके और विभागीय अथवा एक सहायक संस्था के माध्यम से बीमा ब्रोकिंग /बीमा एजेंसी का कारोबार शुरू कर सकते हैं।
- ऋण के मूल्य निर्धारण में अधिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने 22 जनवरी 2015 को सभी बैंकों को सूचित किया कि वे अन्य बातों के साथ-साथ अपनी वेबसाइट पर (i) व्यक्तिगत ऋण लेने वालों को दिये गये अग्रिम की विभिन्न श्रेणियों सहित पिछली तिमाही के लिए अनुबंधित ऋणों की ब्याज दर सीमा और इस तरह के ऋणों के लिए औसत ब्याज दर (ii) व्यक्तिगत ऋण लेने के लिए ऋण के विभिन्न प्रकारों पर लागू कुल शुल्क और प्रभार; और (iii) वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) या व्यक्तिगत ऋण लेने के लिए ऋण की कुल लागत को प्रदर्शित करने वाली किसी अन्य व्यवस्था को प्रदर्शित करें।

फ़रवरी 2015

- रिज़र्व बैंक ने 4 फरवरी 2015 को लघु वित्त बैंकों के लिए बाह्य परामर्शदात्री समिति (ईएसी) और भुगतान बैंकों के लिए बाह्य परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा की।
- रिज़र्व बैंक ने 5 फरवरी 2015 को अपनी वेबसाइट पर भारत में काउंटर चक्रीय पूंजी बफर (सीसीसीबी) के कार्यान्वयन के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी किए।
- रिज़र्व बैंक ने 12 फरवरी 2015 को वर्ष 2013- 2014 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न ग्राहक सेवा पहलों पर और वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय द्वारा निपटाए गए कुछ अनुकरणीय मामलों पर प्रकाश डाला गया।
- रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा मुद्रित एक रुपया मूल्यवर्ग के मुद्रा नोट परिचालित किए। ये मुद्रा नोट सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार वैध मुद्रा हैं।

मार्च 2015

- रिज़र्व बैंक ने मौजूदा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार दिशानिर्देशों पर पुनर्विचार करने के लिए आंतरिक कार्यदल (अध्यक्ष: लिली वडेरा, मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग विनियमन विभाग) की रिपोर्ट 2 मार्च 2015 को जारी की।
- आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) और कम आय समूह (एलआईजी) के उधारकर्ताओं के लिए वहनीय आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने 5 मार्च 2015 को अनुदेश जारी किए कि जहां घर/आवासीय इकाई की लागत ₹10 लाख से अधिक नहीं है, वहां बैंक मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) अनुपात का परिकलन करने के लिए स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण और अन्य प्रलेखन संबंधी प्रभारों को घर/ आवासीय इकाई की लागत में जोड़ सकते हैं।
- रिज़र्व बैंक ने 11 मार्च 2015 को बैंकों को सूचित किया कि वे वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में लागू जोखिमों के प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देशों का सावधानी के साथ पालन करें। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना भी आवश्यक है कि यदि कार्यकलाप बैंक के अंदर किए गए हैं और उन्हें आउटसोर्स नहीं किया गया है तो सेवा प्रदाता सेवा प्रदान करने में सावधानी के उन्हीं उच्च मानकों का उपयोग करें जो बैंकों द्वारा लागू किए गए हैं।

अप्रैल 2015

- रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार, बैंकों और अन्य स्टेकधारकों से प्राप्त राय/सुझावों पर विचार करने के बाद 10 अप्रैल 2015 को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए।
- रिज़र्व बैंक ने 16 अप्रैल 2015 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) को अनुमति दी कि वे कतिपय शर्तों के अधीन समय-पूर्व आहरण वाली और समय-पूर्व आहरण के बिना वाली मीयादी जमाराशियों के आधार पर विभेदक ब्याज दरों का प्रस्ताव करें।
- रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I (एडी श्रेणी- I) बैंकों को सूचित किया कि वे 8 अप्रैल 2015 से संशोधित शर्तों के अधीन बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दें।
- रिज़र्व बैंक ने 23 अप्रैल 2015 को नए मुद्रा तिजोरियां स्थापित करने - ''मुद्रा तिजोरियों के मजबूत कक्षों/वाल्टों का निर्माण'' करने के अनुदेशों को सरल बनाया।

मई 2015

- रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया कि वे 7 मई 2015 से 'बैंकों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के ढांचे' का पालन करें।
- रिज़र्व बैंक ने 11 मई 2015 को सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और निजी क्षेत्र के चयनित बैंकों तथा विदेशी बैंकों को सूचित किया कि वे आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति करें जिसे मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (सीसीएसओ) के रूप में पदनामित किया जाए जिससे कि ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों में ग्राहकों की शिकायतों के समाधान पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।
- रिज़र्व बैंक ने 30 अप्रैल 2015 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लेने और न्यूनतम पात्रता मानदंडों की आवश्यकता को हटा दिया। रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से 14 मई 2015 को उन क्षेत्रों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आईडीएफ-एनबीएफसी) के प्रवेश की अनुमति दी जहां परियोजना प्राधिकरण नहीं है।
- रिज़र्व बैंक ने 14 मई 2015 को सभी मर्चंट श्रेणियों में ₹2000 तक के लेनदेन के लिए छोटे मूल्य के लिए कार्ड प्रस्तुत कर किए जाने वाले लेनदेन (एसपीसीपी) के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) की आवश्यकता में रियायत देने के बारे में सूचित किया।

जून 2015

- निजी क्षेत्र के बैंकों को व्यावसायिक निदेशकों को आकर्षित और उन्हें बनाए रखने में समर्थ बनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने 1 जून 2015 को गैर-कार्यपालक निदेशकों के पारितोषिक पर दिशानिर्देश जारी किए जिनका निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा। यह बाजार की वास्तविकताओं को दर्शाएगा और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट मापदंडों के अधीन होगा।
- रिज़र्व बैंक ने 1 जून 2015 को विदेशी विनिमय/सभी प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों (एएमसी)/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएफएमसी) का कार्य करने के लिए प्राधिकृत सभी बैंकों को अनुमति दी कि वे निवासी व्यक्ति को किसी भी अनुमत चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 250,000 अमेरिकी डॉलर के विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।
- रिज़र्व बैंक ने 8 जून 2015 को सूचित किया कि ''अर्थव्यवस्था में तनावग्रस्त आस्तियों को पुनर्जीवित करने के ढांचे - संयुक्त उधारदाता मंच (जेएलएफ) और सुधारात्मक कार्ययोजना (सीएपी)पर 26 फरवरी 2014 को जारी दिशानिर्देशों'' के अंतर्गत संयुक्त उधारदाता मंच (जेएलएफ) खातों की पुनर्संरचना के उन मामलों में स्वामित्व में बदलाव पर सक्रियता से विचार किया जाए जहां उधारदाता बैंकों द्वारा भारी हानि उठाने के बावजूद भी उधारकर्ता कंपनियां परिचालनात्मक/प्रबंधकीय असक्षमताओं के कारण तनाव से छुटकारा न पा सकी हों।
- रिज़र्व बैंक ने 12 जून 2015 को क्रमश: 4-8 वर्ष तथा 11-15 वर्ष की अवशिष्ट परिवक्वता के साथ भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर 6 वर्षीय और 13 वर्षीय नकदी निपटान वाले ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) की शुरुआत करने के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी किए। रिजर्व बैंक ने मौजूदा 10 वर्षीय नकदी निपटान वाले आईआरएफ के लिए अवशिष्ट परिपक्वता का भी 9-11 वर्ष से 8-11 वर्ष में विस्तार किया।
- रिज़र्व बैंक ने 25 जून 2015 को महात्मा गांधी श्रृंखला-2005 में नए संख्या पैटर्न के साथ ₹100 मूल्यवर्ग में बैंकनोट जारी किए। इन नोटों में दोनों संख्या पैनलों में संख्याएं बाएं से दाएं बढ़ते आकार में हैं जबकि पहले तीन अक्षरांकीय (जो शुरूमें आते हैं) अंक आकार में एक जैसे रहेंगे।

जुलाई 2015

- रिज़र्व बैंक ने 9 जुलाई 2015 को मॉस ट्रांजिट प्रणाली के लिए प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई-एमटीएस) पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जिससे मॉस ट्रांजिट प्रणाली के लिए सेमी-क्लॉज्ड प्रीपेड भुगतान लिखतों की एक अलग श्रेणी का निर्गम हो सकेगा। पीपीआई-एमटीएस का उपयोग मॉस ट्रांजिट प्रणालियों के अंदर किया जा सकता है और इनकी न्यूनतम वैधता इनके जारी होने की तारीख से छह महीने तक रहेगी। मॉस ट्रांजिट प्रणाली के अतिरिक्त, ऐसे पीपीआई-एमटीएस का उपयोग अन्य मर्चंट्स पर भी किया जा सकता है जिनके कार्यकलाप ट्रांजिट प्रणाली से संबद्ध हैं या इसके परिसर के अंदर किए जाते हैं।

वित्तीय गतिविधियां ....

- रिज़र्व बैंक ने 15 जुलाई 2015 को एक समिति (अध्यक्षः श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक) के गठन की घोषणा की जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन के लिए मध्यावधि (पांच वर्ष) आकलन योग्य कार्ययोजना तैयार करना था।
- रिज़र्व बैंक ने बैंकों की सांगठनिक संरचना, कारोबार मॉडलों और प्रौद्योगिकी के उपयोग (कोर बैंकिंग समाधान का कार्यान्वयन) में परिवर्तनों को देखते हुए 16 जुलाई 2015 को वाणिज्यिक बैंकों में समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली के लिए दिशानिर्देश संशोधित किए।
- चलनिधि प्रबंधन परिचालनों को सहज बनाने के प्रयास के रूप में रिज़र्व बैंक ने 27 जुलाई 2015 को स्थायी दर चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) रेपो के माध्यम से स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी), स्थायी दर एलएएफ प्रतिवर्ती रेपो और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) परिचालन शुरू किए।
- रिज़र्व बैंक ने 30 जुलाई 2015 को प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को अनुमति दी कि वे उन सेवाओं का प्रस्ताव कर सकते हैं जो मानकीकृत एटीएम मशीन के माध्यम से मुहैया कराई जा सकती हैं जैसे बिल भुगतान, ऑन-साइट/ऑफ-साइट/मोबाइल एटीएमों में खातों का अंतरण।

अगस्त 2015

- रिज़र्व बैंक ने 6 अगस्त 2015 को उन मौजूदा अनुदेशों को खत्म कर दिया जिनमें घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को कतिपय अनुदेशों के अनुसार बैंकों के आमेलन, समापन, शिफ्टिंग, आंशिक शिफ्टिंग, विस्तार काउंटर खोलने और रिपोर्ट करने की अनुमति दी गई थी।
- रिज़र्व बैंक ने 27 नवंबर 2014 को जारी भुगतान बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए 11 आवेदकों को 19 अगस्त 2015 को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया।
- केंद्र सरकार ने 20 अगस्त 2015 को घोषणा की कि भारत में कार्यरत बैंकों, चाहे ये बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हों या नहीं हों, सभी के लिए 1 सितंबर 2015 से प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। तथापि, बैंक प्रत्येक महीने के पहले, तीसरे और पांचवे शनिवार वाले कार्यदिवस पर पूरे दिन कार्य करेंगे।
- रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति (अध्यक्षः श्री आर. गांधी) की रिपोर्ट 20 अगस्त 2015 को अपनी वेबसाइट पर जारी की।
- रिज़र्व बैंक ने 27 अगस्त 2015 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया कि वे सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को उधार देने पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति शुरू करें और रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण विनियमनों के अंदर एमएसई खंड के उधारकर्ताओं के लिए समयबद्ध और पर्याप्त क्रेडिट डिलीवरी की उपयुक्त प्रणाली अपनाएं।
- रिज़र्व बैंक ने 27 अगस्त 2015 को टीयर III से VI केंद्रों में प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस - भारत में बैंकों द्वारा जारी डेबिट कार्डों और खुली प्रणाली प्रीपेड कार्डों के लिए) पर प्रतिदिन नकदी आहरण की सीमा को ₹1000/- सेबढ़ाकर ₹2000/- किया। यदि नकदी आहरण पर कोई ग्राहक प्रभार लगाए गए हैं तो वे सभी केंद्रों में ₹1000 / ₹2000 की सीमा के भेदभाव के बिना लेनदेन राशि के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।
- रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड को 31 अगस्त 2015 को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (डी-सिब) के रूप में घोषित किया।

सितंबर 2015

- अर्थव्यवस्था में तनावग्रस्त आस्तियों को पुनर्जीवित करने के ढांचे की प्रभावशीलता के सतत आकलन तथा संयुक्त उधारदाता मंच (जेएलएफ) और सुधारात्मक कार्ययोजना(सीएपी) पर रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के भाग के रूप में तथा बैंकों से प्राप्त प्रतिसूचनाओं के आधार पर रिज़र्व बैंक ने 24 सितंबर 2015 को संयुक्त उधारदाता मंच के अधिकारप्राप्त समूह (जेएलएफ-ईजी) से संबंधित ढांचे, जेएलएफ के अंतर्गत संदेहशील खातों की पुनर्संरचना, सीएपी के रूप में पुनर्संरचना और निष्कासन विकल्प पर असहमति, मौजूदा दंडात्मक प्रावधानों के आवेदन और कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना की अवधि में कुछ बदलाव/संवर्धन शुरू किए जिससे कि इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
- 27 नवंबर 2014 को जारी निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के दिशानिर्देशों के अंतर्गत लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 16 सितंबर 2015 को 10 आवेदकों को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया।
- मौजूदा प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा मामला-दर-मामला आधार पर रिज़र्व बैंक से संपर्क करने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 16 सितंबर 2015 को वाणिज्यिक बैंकों को अनुमति दी कि वे कतिपय शर्तों के अधीन रिज़र्व बैंक पूर्व अनुमोदन लिए बिना मुख्य कार्यपालक अधिकारी/पूर्णकालिक निदेशकों को ऋण और अग्रिम प्रदान कर सकते हैं।
- रिज़र्व बैंक ने 24 सितंबर 2015 को ₹500 और ₹1000 के मूल्यवर्ग में बैंकनोट प्रचलन में डाले। इन बैंकनोटों में तीन नई/संशोधित विशेषताएं जैसे (i) संख्या पैनलों में संख्या का बढ़ता आकार, (ii) ब्लीड लाइनें और (iii) बड़ा पहचान चिह्न शामिल हैं।
- रिज़र्व बैंक ने 24 सितंबर 2015 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), अखिल भारतीय मीयादी उधार प्रदान करने वाली तथा पुनर्वित्त संस्थाओं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) को सूचित किया कि वे उन उधारकर्ता संस्थाओं को प्रदान की गई ऋण सुविधाओं को अपग्रेड करें जिनके स्वामित्व में दिशानिर्देशों में निर्धारित कतिपय शर्तों के अधीन कार्यनीतिक ऋण पुनर्संचरना योजना से इत्तर 'मानक' श्रेणी में बदलाव हुआ है।
- रिज़र्व बैंक ने अतिमहत्वपूर्ण ईसीबी नीति के अंदर विदेशों में स्पया मूल्यवर्गांकित बॉन्ड जारी करने संबंधी ढांचा 29 सितंबर 2015 को जारी किया।

अक्टूबर 2015

- रिज़र्व बैंक ने 6 अक्टूबर 2015 को सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) के लिए मध्यावधि ढांचा (एमटीएफ) घोषित किया।
- रिज़र्व बैंक ने 15 अक्टूबर 2015 को प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों/राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों को वित्तीय समावेशन निधि के गठन, वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ) के आमेलन के बारे में सूचित किया।
- रिज़र्व बैंक ने 20 अक्टूबर 2015 को उन संस्थाओं से प्राधिकार के लिए आवेदन आमंत्रित किए जो वर्तमान में बिल भुगतान के कार्य में लगी हैं और भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के अंतर्गत भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालन इकाई (बीबीपीओयू) के रूप में कार्य करने की इच्छुक हैं।

नववर्ष की शुभकानाएं

- रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 (जीएमएस) के कार्यान्वयन पर 22 अक्टूबर 2015 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को निदेश दिया।

नवंबर 2015

- रिज़र्व बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को 5 नवंबर 2015 को अनुमति दी कि वे अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करें।
- रिज़र्व बैंक ने 19 नवंबर 2015 को संशोधित निदेश जारी किए जिसमें निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरों या वोटिंग अधिकारों के अधिग्रहण के लिए पूर्व अनुमोदन को आवश्यक बनाया गया। इन निदेशों के प्रावधान निजी क्षेत्र के मौजूदा और प्रस्तावित ''प्रमुख स्टेकधारकों'' और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित निजी क्षेत्र के सभी बैंकों पर लागू होंगे जिन्हें भारत में कार्य करने का लाइसेंस प्रदान किया गया है।
- निवासियों द्वारा दीर्घावधि विदेशी मुद्रा उधारों की हेजिंग करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने 19 नवंबर 2015 को निवासियों को अनुमति दी कि वे कतिपय शर्तों के अधीन उन बहुपक्षीय या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं (एमएफआई/आईएफआई) के साथ विदेशी मुद्रा (एफसीवाई)-भारतीय स्पया स्वैप कर सकते हैं जिनमें भारत सरकार शेयरधारक सदस्य है।
- रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) में भारत बिल भुगतान केंद्रीय इकाई (बीबीपीसीयू) के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को 24 नवंबर 2015 को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया।
- रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्यराशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) स्थापित और परिचालित करने के लिए 24 नवंबर 2015 को तीन आवेदकों नामतः एनएसई स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएसआईसीएल) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), मुंबई, एक्सिस बैंक लिमिटेड, मुंबई तथा माइंड सल्यूशन्स प्रा. लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया।

दिसबंर 2015

- रिज़र्व बैंक ने 17 दिसंबर 2015 को अग्रिमों पर ब्याज दर के लिए मार्जिनल निधि लागत पद्धति की घोषणा की।
- रिज़र्व बैंक ने 10 दिसंबर 2015 को ईयूआर (यूरो)-यूएसडी (अमेरिकी डॉलर), जीबीपी(पाउंड स्टर्लिंग)-यूएस डॉलर और यूएस डॉलर-जेपीवाई (जापानी येन) के मुद्रा जोड़ों में शेयर बाजार ट्रेडेड आप्शन कांट्रैक्ट शुरू किए।

मौद्रिक नीति ढांचे में परिवर्तन

वर्ष 2015 में मौद्रिक नीति के संचालन में मौलिक बदलाव हुआ और ये बदलाव इस प्रकार थे:

- 20 फरवरी 2015 को भारत सरकार और रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति ढांचे पर एक करार पर हस्ताक्षर किए।
- यह करार मूल्य स्थिरता को मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य बनाता है, यह वर्ष 2015-16 के लिए मूल्य स्थिरता को सीपीआई मुद्रास्फीति के 6 प्रतिशत से कम पर निर्धारित करता है (जनवरी 2016 तक हासिल किया जाना) और बाद के वर्षों में 4 प्रतिशत जिसमें 2 प्रतिशत की घट-बढ़ हो सकती है, इस लक्ष्य को हासिल न कर पाने के कारकों का निर्धारण करता है तथा विनिर्दिष्ट करता है कि इसमें असफल होने की स्थिति में रिज़र्व बैंक (क) लगातार तीन तिमाहियों में लक्ष्य से मुद्रास्फीति के भटकाव के कारणों, (ख) समाधान उपाय और (ग) एक अनुमानित समयावधि जिसमें मुद्रास्फीति को फिर से लक्ष्य पर लाया जाएगा, पर सरकार को रिपोर्ट करेगा।
- मौद्रिक नीति में अधिक पारदर्शिता ने मौद्रिक नीति रिपोर्टें(एमपीआर) जारी करना आवश्यक बना दिया जो अप्रैल 2015 और सितंबर 2015 में जारी की गई।
- मौद्रिक नीति के अधिक प्रभावी अंतरण की स्थिति सृजित करने के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा की जगह 7 फरवरी 2015 से प्रणाली स्तरीय चलनिधि प्रावधान किया गया।

वर्ष 2015 में मौद्रिक नीति में परिवर्तन

वर्तमान और उभरती हुई समष्टि आर्थिक मौद्रिक नीति स्थिति का आकलन करने के आधार पर रिज़र्व बैंक ने 8 बार अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा की। रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2015 में दो बार 15 जनवरी 2015 और फिर 4 मार्च 2015 को मौद्रिक नीति से बाहर जाकर कार्रवाई की:

मौद्रिक नीति समीक्षा	चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो रेट	अनुसूचित बैंकों की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एलडीटीएल) के अनुसार आरक्षित नकदी निधि अनुपात	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंका का सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)	बैंकिंग प्रणाली की एनडीटीएल के 7 दिवसीय और 14 दिवसीय मीयादी रेपो के अंतर्गत चलनिधि	एलएएफ के अंतर्गत ओवरनाइट रेपो के अंतर्गत चलनिधि
15 जनवरी 2015 को मौद्रिक नीति पर वक्तव्य	7.75 प्रतिशत, 8.00 प्रतिशत से तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंकों से घटाई गई।	4.0 प्रतिशत अपरिवर्तित रखा गया ।	22.0 प्रतिशत अपरिवर्तित रखा गया।	नीलामी के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली की एनडीटीएल के 0.75 प्रतिशत तक 7 दिवसीय और 14 दिवसीय रेपोके अंतर्गत चलनिधि प्रदान करना जारी रखा गया।	ओवरनाइट रेपो के अंतर्गत एलएएफ रेपो दर पर बैंक वार एनडीटीएल के 0.25 प्रतिशत पर चलनिधि प्रदान करना जारी रखा गया ।
3 फरवरी 2015 को छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति	7.75 प्रतिशत अपरिवर्तित रखी गई।	4.0 प्रतिशत अपरिवर्तित रखा गया।	7 फरवरी 2015 से शुरू हो रहे पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का एसएलआर 22.0 प्रतिशत से 50 आधार अंको से घटाकर उनकी एनडीटीएल के 21.5 प्रतिशत किया गया।	यथापूर्व स्थिति	यथापूर्व स्थिति
4 मार्च 2015 को मौद्रिक नीति पर वक्तव्य	7.5 प्रतिशत,7.75 प्रतिशत से तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंकों से घटाई गई।	4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया।	21.5 प्रतिशत अपरिवर्तित रखा गया।	यथापूर्व स्थिति	यथापूर्व स्थिति
वर्ष 2015-16 के लिए 7 अप्रैल 2015 को पहला द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य	7.5 प्रतिशत अपरिवर्तित रखी गई।	4.0 प्रतिशत अपरिवर्तित रखा गया।	21.5 प्रतिशत अपरिवर्तित रखा गया।	यथापूर्व स्थिति	यथापूर्व स्थिति
2 जून 2015 को दूसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य	7.25 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत से तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंकों से घटाई गई।	4.0 प्रतिशत अपरिवर्तित रखा गया।	21.5 प्रतिशत अपरिवर्तित रखा गया।	नीलामी के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली की एनडीटीएल के 0.75 प्रतिशत तक 14 दिवसीय और दीर्घावधि मीयादी रेपो के अंतर्गत चलनिधि उपलब्ध कराना	यथापूर्व स्थिति
4 अगस्त 2015	7.25 प्रतिशत अपरिवर्तित रखी गई।	4.0 प्रतिशत अपरिवर्तित रखा गया।	21.5 प्रतिशत अपरिवर्तित रखा गया।	यथापूर्व स्थिति	यथापूर्व स्थिति
29 सितंबर 2015	6.75 प्रतिशत, 7.25 प्रतिशत से तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंकों से घटाई गई।	4.0 प्रतिशत अपरिवर्तित रखा गया।	21.5 प्रतिशत अपरिवर्तित रखा गया। @	यथापूर्व स्थिति	यथापूर्व स्थिति
1 दिसंबर 2015	6.75 प्रतिशत अपरिवर्तित रखा गया।	4.0 प्रतिशत अपरिवर्तित रखा गया।	21.5 प्रतिशत अपरिवर्तित रखा गया।	यथापूर्व स्थिति	यथापूर्व स्थिति

@ 29 सितंबर 2015 को की गई घोषणा के अनुसार 31 मार्च 2017 तक एसएलआर प्रत्येक तिमाही में 0.25 प्रतिशत से नीचे लाया जाएगा। तदनुसार 2 अप्रैल 2016 से एसएलआर 21.25 प्रतिशत , 9 जुलाई 2016 से 21.00 प्रतिशत,1 अक्तूबर 2016 से 20.75 प्रतिशत और 7 जनवरी 2017 से 20.50 प्रतिशत होगा।

अल्पना किल्लावाला, भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित। **मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.rbi.org.in/MCIR पर भी उपलब्ध है।**